UPPG010045362026

न्यायालयः अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कक्ष सं.–1, प्रतापगढ़।
पीठासीन अधिकारी–राजीव रंजन (एच.जे.एस.)
जे.ओ.कोड–यू.पी.–6221
जमानत प्रार्थना पत्र संख्या–1813/2026

सुनीता पत्नी संतोष उम्र लगभग 39 वर्ष निवासी ग्राम बुडैला, थाना अन्तू, जिला प्रतापगढ़।
..... **आवेदिका/अभियुक्ता**

बनाम

राज्य उत्तर प्रदेश .....**अभियोगी**

मु०अ०सं०– 143/2026
धारा– 109(1),191(2), 352, 351(3),3(5) बी.एन.एस.
थाना–अन्तू, **जिला–** प्रतापगढ़।

1. आवेदिका/अभियुक्ता **सुनीता** की तरफ से मुकदमा अपराध संख्या–143/2026, धारा–109(1),191(2),352, 351(3),3(5) बी.एन.एस., थाना–अन्तू, जिला–प्रतापगढ़ में यह जमानत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है। अभियुक्ता जिला कारागार में निरूद्ध है।

2. आवेदिका/अभियुक्ता के विद्वान अधिवक्ता के द्वारा जमानत प्रार्थना पत्र में यह आधार प्रस्तुत किया गया है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट विलम्ब से सोच समझकर अपने बचाव में लि–खाई गई है, जबकि थाने से दूरी मात्र 05 किमी० है। आवेदिका व उसका पति संतोष भी जेल में निरुद्ध है और उसके तीन छोटे–छोटे बच्चे घर पर अकेले माता पिता के लिए रो रहे हैं। कथित घटना में चोटहिलों को आयी चोटें साधारण प्रकृति की है, जिससे धारा 109(1) का जुर्म आयत नहीं होता है। वादी मुकदमा का चश्मदीद साक्षी नहीं है। कथित घटना में दोनों पक्ष को चोटें आयी हैं, किन्तु वादी मुकदमा के धनबल के कारण प्रार्थिनी का मुकदमा स्थानीय थाने पर नहीं लिखा गया। कथित घटना में मजरूब को आई कथित चोटों को प्राणघातक होना नहीं बताया गया है। आवेदिका के पास से कोई बरामदगी नहीं है। आवेदिका का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। फर्द बरामदगी भी नहीं तैयार की गई है और आवेदिका को उसके घर से ले जाकर दूसरे दिन उसका चालान कर दिया गया। आवेदिका दिनांक 12.06.26 से जिला कारागार प्रतापगढ़ में निरूद्ध है। आवेदिका/अभियुक्ता का यह प्रथम जमानत प्रार्थना पत्र है, कोई भी जमानत आवेदन पत्र अन्य किसी न्यायालय अथवा माननीय उच्च न्यायालय में न तो दी गई है और न ही खारिज हुई है और न ही विचाराधीन है। अतः जमानत पर रिहा किये जाने की याचना की गयी।

3. अभियोजन की तरफ से विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) द्वारा जमानत आवेदन–पत्र का विरोध करते हुए तर्क प्रस्तुत किया गया कि आवेदिका/अभियुक्ता ने अन्य सहअभियुक्तागण के साथ एक राय होकर वादी मुकदमा के परिवारीजन को लाठी, डन्डा व कुल्हाड़ी से जान से मारने की नियत से मारे पीटे, जिससे उन्हें गंभीर चोटें आयी तथा पूरे परिवार को जान से मार डालने की धमकी दिये। आवेदिका/अभियुक्ता द्वारा कारित अपराध गंभीर प्रकृति का है। अतः जमानत आवेदन पत्र खारिज किया जाये।

Digitally signed by Rajeev Ranjan
Date: 2026.06.29 15:05:54 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

4. आवेदिका/अभियुक्ता के विद्वान अधिवक्ता तथा राज्य की ओर से विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) को सुना तथा उपलब्ध अभियोजन प्रपत्रों का अवलोकन किया।

5. अभिलेखों के परिशीलन से स्पष्ट है कि प्रश्नगत मामले में अभियोजन कथानक संक्षेप में इस प्रकार है कि दिनांक 11.06.2026 को सुबह लगभग 6.30 बजे वादी मुकदमा का टीन आधी में उड़कर सुरेन्द्र कुमार के घर में चला गया था, वह टीना लाकर नल के पास रख दिया था, विपक्षी सुनीता सुबह नल पर पानी भरने गयी थी, टीना हटाने की बात लेकर विपक्षी गाली गुप्ता देने लगे जब उन लोगों ने गाली देने से मना किया तो उसके गांव के बनवारी, सन्तोष, पंकज, विजय, सुनीता, नन्हेलाल एक राय होकर अपने अपने हाथ में लाठी डन्डा व कुल्हाड़ी लेकर आये और जान से मारने की नीयत से उसके भाई रमेश कुमार, मुरलीधर व उसके भतीजे अभिषेक कुमार, प्रीतम कुमार को मारे पीटे जिसे रमेश कुमार व अभिषेक कुमार उपरोक्त को गंभीर चोट आयी है, जिन्हें इलाज हेतु जिला अस्पताल, प्रतापगढ़ रेफर किया गया है। प्रीतम कुमार व मुरलीधर के भी सर में चोट आयी है। ये लोग पूरे परिवार को जान से मारने की धमकी दिये।

6. प्रथम सूचना रिपोर्ट व केस डायरी के अवलोकन से आवेदिका/अभियुक्ता पर अन्य सहअभियुक्तागण के साथ एक राय होकर वादी मुकदमा के परिवारीजन को लाठी, डन्डा व कुल्हाड़ी से जान से मारने की नीयत से मारने पीटने तथा पूरे परिवार को जान से मार डालने की धमकी दिये जाने का आरोप है। जिसकी प्रथम सूचना रिपोर्ट 11.06.2026 को 11.51 बजे अभियुक्तागण बनवारी, सन्तोष, पंकज, विजय, सुनीता व नन्हेलाल के विरुद्ध पंजीकृत कराई गई है। आवेदिका प्राथमिकी में नामजद अभियुक्ता है। वादी मुकदमा ने अपने बयान में कहा है कि विपक्षी सुनीता नल पर पानी भरने गयी थी, टीना हटाने की बात को लेकर विपक्षी गाली गुप्ता देने लगी। गाली देने से मना करने पर उसके गांव के बनवारी, सन्तोष, पंकज, विजय, सुनीता व नन्हेंलाल एक राय होकर अपने अपने हाथ में लाठी डंडा व कुल्हाड़ी से जान से मारने की नीयत से उसके भाई रमेश कुमार, मुरलीधर व उसके भतीजे अभिषेक कुमार व प्रीतम कुमार को मारे पीटे जिससे रमेश कुमार व अभिषेक कुमार को गंभीर चोट आयी, जिन्हें इलाज हेतु जिला अस्पताल, प्रतापगढ़ रेफर किया गया। मजरूब प्रीतम कुमार व मजरूब मुरलीधर ने वादी मुकदमा के बयान का समर्थन किया है। फर्द बरामगदी के अनुसार सहअभियुक्तगण के पास से दो अदद कुल्हाड़ी का बरामद होना भी दर्शाया गया है। अभियुक्ता द्वारा कारित अपराध में दस वर्ष या आजीवन कारावास तक की सजा का प्रावधान है। आवेदिका/अभियुक्ता द्वारा कारित अपराध गंभीर प्रकृति का है। अतः मामले के तथ्य एवं परिस्थितियों में अपराध की गंभीरता को दृष्टिगत रखते हुए आवेदिका/अभियुक्ता को जमानत पर रिहा किये जाने का आधार पर्याप्त नहीं है तथा जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

आवेदिका/अभियुक्ता **सुनीता** द्वारा मुकदमा अपराध सं0–143/2026, धारा–109(1),191(2),352, 351(3),3(5) बी.एन.एस., थाना–अन्तू, जिला प्रतापगढ़ के अभियोग में प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र **निरस्त** किया जाता है।

दिनाँक :27.06.2026

वेद/– स्टेनो

(राजीव रंजन)
अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश
कक्ष संख्या–1, प्रतापगढ़।